[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 01/2021-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि.....(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), सं. 11/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** सं. सा.का.नि. 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम सं. 2 के सामने,-

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) के मद (i) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, “1.40 रु. प्रति लीटर” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) के मद (ii) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, “2.60 रु. प्रति लीटर” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं. 3 के सामने,-

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) के मद (i) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, “1.80 रु. प्रति लीटर” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) के मद (ii) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, “4.20 रु. प्रति लीटर” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	2710	5% सम्मिश्र एथनॉल पेट्रोल जो ऐसा सम्मिश्रण है,- (i) जो 95% मोटर स्प्रिट (सामान्यतः पेट्रोल के रुप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 5% एथनॉल जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 2796 के अनुरूप ।	शून्य" ;

(iv) क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5.	2710	10% सम्मिश्र एथनॉल पेट्रोल जो ऐसा सम्मिश्र है,- (i) जो 90% मोटर स्प्रिट (सामान्यतः पेट्रोल के रुप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 10% एथनॉल जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 2796 के अनुरूप ।	शून्य ;
5क.	2710 12 42	20% एथेनॉल संमिश्रित पेट्रोल ऐसा सम्मिश्र है,- (i) जो 80% मोटर स्प्रिट (सामान्यतः पेट्रोल के रुप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 20% एथनॉल जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 17021 के अनुरूप ।	शून्य
5ख.	2710 12 49	15% मेथेनॉल संमिश्रित पेट्रोल जो ऐसा संमिश्र है,- (i) जो मोटर स्प्रिट (सामान्यतः पेट्रोल के रुप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और मेथेनाल और सह-विलायक जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 17076 के अनुरूप ।	शून्य";

(v) क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	2710	तीव्रगति डीजल ऑयल वनस्पति तेल से प्राप्त लौंग-चेन वसीय अम्ल के एल्काइलेस्टर के साथ संमिश्रित, सामान्यतया ज्ञात बायो-ईंजन आयतन 20 प्रतिशत तक, अर्थात् ऐसा संमिश्र जो 80 प्रतिशत या उससे अधिक तीव्रगति डीजल ऑयल जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है, 20 प्रतिशत तक बायो-डीजल जिस पर समुचित यथास्थिति, केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, से मिलकर बना है ।	शून्य

(vi) क्रम सं. 10 के सामने स्तंभ (2) के स्थान पर, "2710 12 41, 2710 12 90" प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण (1) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण 2.- सारणी के क्रम सं. 4, 5, 5क, 5ख और 6 के सामने स्तंभ (3) में वर्णित माल के प्रयोजनार्थ :-

(क) समुचित उत्पाद शुल्क से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट की अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त विधेयक, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, अभिप्रेत है;

(ख) समुचित केन्द्रीय कर, विक्रय कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबद्ध राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्रहणीय केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर अभिप्रेत होगा ।

3. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

4. इस अधिसूचना की कोई बात 1 फरवरी, 2021 को या उसके पूर्व विनिर्मित और 2 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् निकासी माल को लागू नहीं होगी ।

[फा.सं. 334/02/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. 11/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 19/2018-सीमा शुल्क, तारीख 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा संशोधित और सं. सा.का.नि. 980(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।